OPINION TODAY
National Bilingual (Hindi–English) Quarterly, Peer-Reviewed and Refereed Journal
Vol. 02, No. 01 (2026): January-March ISSN No. : 3108-2661

विवाह संस्था में परिवर्तन एवं स्थायित्व का संकट

डॉ. इन्द्र सिंह राठौड़
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
बी.एन.पी.जी. गर्ल्स कॉलेज, राजसमन्द
rathore.isr77@gmail.com

सारांश

विवाह मानव समाज की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। जिसका उद्देश्य केवल दो व्यक्तियों का सामाजिक और वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करना ही नही बल्कि दो परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों को जोड़ती है। विवाह संस्था परिवार का निर्माण, सन्तानों का लालन-पालन व सामाजिक व्यवस्था को बनाती है। विवाह एक पवित्र संस्कार है। हिन्दू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। परम्परागत समाज में विवाह को एक स्थायी धार्मिक एवं सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता था किन्तु आधुनिक समय में औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार, महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण के कारण विवाह संस्था के स्वरूपों में पविर्तन आए है। इन परिवर्तनों से विवाह की स्थिरता का संकट उत्पन्न हुआ है। समाज में तलाक की बढती दर, विवाह की आयु में वृद्धि, लिव इन रिलेशनशिप का बढना जैसे अनेक परिणाम उत्पन्न हो रहे है। यह शोध पत्र विवाह संस्था के परिवर्तनों एवं स्थायित्व पर उत्पन्न संकट का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : विवाह संस्था, सामाजिक परिवर्तन, परिवार, आधुनिकता, स्थायित्व संकट

विवाह मानव समाज की सबसे प्राचीन और सार्वभौमिक सामाजिक संस्थाओं में से एक है। यह संस्था केवल योन सम्बन्धों को वैधता प्रदान करने तक सीमित नहीं है। विवाह संस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो न केवल दो व्यक्तियों को बल्कि दो परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों को जोड़ती है। विवाह संस्था ही परिवार की संरचना, उत्तराधिकार, लिंग भूमिकाओं और सामाजिक अनुशासन को परिभाषित करती है। हिन्दू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है यह एक पवित्र संस्कार माना गया है।

Vol. 02, No. 01 (2026): January-March ISSN No. : 3108-2661

समाजशास्त्री के.एन. कापड़िया ने बताया कि "भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का सम्बन्ध नहीं बल्कि दो परिवारों और वंशों का सामाजिक-धार्मिक बंधन है।"

भारत में विवाह संस्था की जड़े वैदिक काल से जुड़ी हुई है। मनुस्मृति, धर्मशास्त्रों व पुराणों में विवाह को धर्म, सन्तानोत्पति और गृहस्थ धर्म का अभिन्न हिस्सा माना गया है। वैदिक काल में विवाह सामान्यतः गौत्र बहिर्विवाह पर आधारित था जिसमें विभिन्न कुलों के बीच सम्बन्ध स्थापित होते थे। परिवार में सम्पति का माप गौ सम्पदा से होता था। स्त्रियाँ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल में विवाह की विभिन्न विधियाँ प्रचलित थी। आठ प्रकार के विवाह का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। जिसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह का प्रचलन था। इसमें ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ और राक्षस-पिशाच विवाह को निकृष्ट माना गया।

ब्राह्मणिक परम्परा में विवाह अनिवार्य रूप से एक धार्मिक संस्थार था जिसका उद्देश्य वंशवृद्धि, कुल परम्परा का पालन और सामाजिक मर्यादा की रक्षा था। विवाह के समय कन्यादान, वर वधु चयन, विवाह संस्कार और सामाजिक वर्ग के आधार पर प्रतिबंधित विवाह जैसे नियमों का पालन होता था। मुगलकाल में विवाह संस्था में धार्मिक विविधता व पितृ सत्तात्मक स्वरूप अधिक गहराया। बाल विवाह का प्रचलन बढने लगा, अंग्रेजी शासन काल में ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था में विवाह के स्वरूप को विधिक रूप प्रदान किया गया।

विवाह संस्था में समाजशास्त्रियों के विचारः- अनेक समाजशास्त्रियों दुर्खिम, पारसन्स, गिडेन्स, गॉफमैन इत्यादि विचारकों ने विवाह संस्था में हो रहे परिवर्तनों पर अपने विचार रखे है-

दुर्खिम ने विवाह संस्था को समाज में सामाजिक एकता स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण माना है। उन्होंने यह माना कि विवाह जैसे संस्थागत सम्बन्ध समाज में नैतिक अनुशासन और सामाजिक सहयोग की भावना को सुदृढ करते है।

पारसन्स ने विवाह संस्था को समाज की स्थिरता और कार्यात्मकता के लिए अत्यन्त आवश्यक माना है।

आधुनिक समाजशास्त्रियों ने विवाह संस्था का लगातार बदलती सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा है। गिडेन्स के अनुसार विवाह अब अनिवार्य संस्था नही रह गई है बल्कि यह परस्पर सहमति और समानता के आधार पर टिकने वाला सम्बन्ध बन गया है।

गॉफमैन कहते है विवाह एक सामाजिक प्रदर्शन है जिसमें पति-पत्नि सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार भूमिकाएं निभाते है।

OPINION TODAY
National Bilingual (Hindi–English) Quarterly, Peer-Reviewed and Refereed Journal
Vol. 02, No. 01 (2026): January-March ISSN No. : 3108-2661

आधुनिक समाज में विवाह संस्था में परिवर्तनः- आधुनिक समाज में कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से विवाह संस्था में व्यापक परिवर्तन हुए है।

- **औद्योगिकरण और शहरीकरणः** लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करने से संयुक्त परिवार विघटित हुए और एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से शहरों ने विवाह सम्बन्धों में स्वतंत्रता बढने लगी।
- **शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का प्रभावः** महिलाओं में शिक्षा और आर्थिक आत्म निर्भरता की बढती प्रवृत्ति ने विवाह को एकमात्र जीवन का लक्ष्य मानने की अवधारणा को तोड़ा है जिसके कारण विवाह की आयु में वृद्धि, करियर प्राथमिकता, स्वतंत्र जीवन शैली ने विवाह संस्था में परिवर्तन किया है।
- **मीडिया और ग्लोबल संस्कृतिः** विज्ञापन, सिनेमा, सोशल मिडिया और ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रचारित होने वाली विचारधाराएं युवाओं के वैवाहिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही है। इसके कारण रोमांटिक स्वतंत्रता, साझेदारी सम्बन्ध ने विवाह सम्बन्ध को नया स्वरूप दिया है।
- **कानूनी एवं विधिक संरक्षणः** तलाक, घरेलू हिंसा, दहेज निरोधक जैसे अनेक कानूनी संरक्षण ने विवाह को एक अनुशासनात्मक सम्बन्ध के स्थान पर अधिकारों और दायित्वों का कानूनी अनुबंध बना दिया है।
- **लिव इन रिलेशनशिपः** भारत में कानूनी मान्यता मिलने के बाद विवाह विलम्ब से हो रहे है। बिना विवाह एक साथ रहने की प्रवृति बढ रही है। समाजशास्त्री एंथोनी गिडेन्स कहते है कि आधुनिक विवाह को च्नतम त्मसंजपवदेीपच कहा है जिसमें सम्बन्ध तब तक चलता है जब तक दोनों को संतुष्टि मिलती है।
- **परिवार की भूमिका में कमीः** औद्योगीकरण व शहरीकरण होने से एकल परिवारों में वृद्धि होने से विवाह सामूहिक निर्णय न होकर एकल निर्णय पर हो रहा है। जिसके कारण भी विवाह में स्थायित्व पर संकट आ रहा है।
- **प्रेम विवाह और अन्तर्जातीय विवाह की स्वीकार्यताः** भारतीय समाज में पारम्परिक विवाहों में परिवार, जाति, धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी क्योंकि विवाह को दो व्यक्तियों के बजाय दो कुलों का मिलन माना जाता रहा है। आधुनिक शिक्षा व्यक्तिगत अधिकारों में वृद्धि ने प्रेम की स्वीकृति में वृद्धि की है।
- **तलाक एवं पुनर्विवाह की स्वीकृतिः** भारत में तलाक को लम्बे समय तक सामाजिक कलंक के रूप में देखा गया लेकिन सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, वैयक्तिक आत्म सम्मान की भावना ने तलाक में वृद्धि एवं पुनर्विवाह की स्वीकृति बढी है।
- **विवाह की आयु में वृद्धिः** पारम्परिक समाज में लड़कियों की शादी किशोरावस्था में कर दी जाती थी किन्तु अब उच्च शिक्षा हासिल करना, करियर प्राथमिकता और आत्मनिर्भरता की प्रवृतियों के कारण विवाह विलम्ब से हो रहे है।

OPINION TODAY
National Bilingual (Hindi–English) Quarterly, Peer-Reviewed and Refereed Journal
Vol. 02, No. 01 (2026): January-March ISSN No. : 3108-2661

अनेक कारणों से विवाह संस्था में स्थायित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। डिजिटल युग में विवाह के स्वरूप और प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप बढने लगा है। डिजिटल सगाई, वर्चुअल विवाह का आयोजन होने लगा है। प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, पुनर्विवाह, तलाक में वृद्धि से विवाह के स्थायित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है।

उपाय

जिस तरह से विवाह संस्था के पारम्परिक स्वरूप में बदलाव आ रहा है उससे समाज में वैवाहिक तनाव, पारिवारिक विघटन, तलाक में वृद्धि जैसी अनेक समस्याएं बढ रही है। इन्हें निम्नांकित उपायों से कम किया जा सकता है।

- **पारिवारिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा का विकासः** शिक्षा प्रणाली में पारिवारिक जीवन शिक्षा को शामिल करना, परिवार के मूल्यों जैसे- सहनशीलता, सहयोग, त्याग और जिम्मेदारी का विकास करना युवाओं में आवश्यक है।
- **विवाह पूर्व एवं विवाहोपरान्त परामर्शः** परामर्श द्वारा छोटे-छोटे मतभेद बड़े विवाह बदलने से पहले ही सुलझाए जा सकते है।
- **आर्थिक स्थिरता और रोजगार के अवसरः** सरकार व समाज को रोजगार के अवसर बढाने तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
- **कानूनी और सामाजिक सुरक्षाः** कई बार घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा एवं अन्य सामाजिक बुराइयां वैवाहिक जीवन को अस्थिर बना देती है। समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- **संयुक्त परिवार के सकारात्मक तत्वों को अपनानाः** जीवन साथी चुनाव एवं अन्य सामाजिक निर्णयों में परिवार की राय को लेना चाहिए।
- वैवाहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना ताकि जिम्मेदारी की भावना वैवाहिक जीवन को स्थिर बनाती है।
- नशे और बुरी आदतों से बचाव।

निष्कर्ष

विवाह संस्था समाज की एक मूलभूत सामाजिक संस्था है जो परिवार, समुदायों और संस्कृतियों का निर्माण करती है। लेकिन आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, डिजिटल युग में विवाह संस्था में परिवर्तन तेजी से हो रहा है जिसे परम्परागत मूल्यों, नैतिक शिक्षा के विकास, रोजगार के अवसरों एवं कानूनी सुरक्षा के संकट को कम किया जा सकता है।

OPINION TODAY
National Bilingual (Hindi–English) Quarterly, Peer-Reviewed and Refereed Journal
Vol. 02, No. 01 (2026): January-March ISSN No. : 3108-2661

संदर्भ सूची :

1. कापड़िया के. एम. 'भारत में विवाह और परिवार', ऑक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई 1981
2. देसाई एम. 'भारत में महिलाएं और समाज' अजन्ता पब्लिकेशन, दिल्ली 1994
3. काणे. पी. वी. 'धर्मशास्त्र का इतिहास' भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीव्यूट पुणे, 1953
4. दुर्खिम इस्माइल 'समाज में श्रम विभाजन' मेक मिलन, लंदन,1893
5. गिडेन्स एंथनी 'द ट्रांसफार्मेशन ऑफ़ इंटोमेसी' पालिटी प्रेस, केम्ब्रिज 1992
6. आहुजा राम 'भारतीय समाज-रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2012